कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 3020/ 14–1 बिजनौर, दिनांक, मार्च 27 – 2017।

सेवा में,

श्री गुलशन सेठी
डीविजनल मनेजर
यू0पी0 (वेस्ट)
एस्सार ऑयल लिमिटेड
ए–5 सेक्टर–3 नोएडा 201301 यू0पी0।

विषय :– मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड नोएडा द्वारा ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ किमी0 26.400 की दायी पटरी पर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर अमरोहा–नूरपुर रोड खसरा संख्या 147 में पैट्रोल/डीजल स्थापित किये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।

संदर्भ:– पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ0प्र0 लखनऊ की सैद्वान्तिक स्वीकृति संख्या 8बी0/यू0पी0/06/103/2016/एफ0सी0/575 दिनांक 21–03–2016।

महोदय,

पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0एन0 सं0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11–07–2014 व एफ0एन0 सं0–11–09/98 एफसी, दिनांक 21–08–2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड नोएडा द्वारा ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ किमी0 26.400 की दायी पटरी पर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर अमरोहा–नूरपुर रोड खसरा संख्या–147 में पैट्रोल/डीजल स्थापित किये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। कृपया सैद्वान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तो की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि 0.1502 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षो तक रख–रखाव सहित रू0 14,900.00 (रू0 चौदह हजार नौ सौ मात्र)

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। प्रभावित वन भूमि 0.0751 हे0 का शुद्व वर्तमान मूल्य 6.26 लाख प्रति हे0 के दर से रू0 47,013.00 (रू0 सैतालिस हजार तेहरा मात्र)

   (ख) उपरोक्त धनराशि ऑनलाईन e-payment portal slip के माध्यम से जमा कर e-payment portal slip अनुपालन आख्या के साथ में छाया प्रति संलग्न करे, सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल/डीजल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.44 वर्ग मी0) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट दीवार बनाकर किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार सहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा <u>एक सप्ताह</u> के अन्तर्गत किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु संस्तुति की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी चॉदपुर।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।